राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प.5(3)कार्मिक/क–2/94 पार्ट   जयपुर, दिनांकः अप्रेल 13, 2010

परिपत्र

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01/10/2002 एवं 10/06/2008 के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्य जो युद्ध या विद्रोहीयों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में शहीद हो जाते हैं अथवा स्थायी रूप से अशक्त हो जाते हैं, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति दी जायेगी। इस संबंध में उक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है किः

1. आश्रित द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में उस जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जिस जिले का वह मूल निवासी है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक नियुक्ति हेतु पात्र है तथा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उपरोक्तानुसार जाँच उपरांत संतुष्ट होने पर अपनी सिफारिश संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।

2. यदि संबन्धित जिले में अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कोई उपयुक्त पद रिक्त हो तो जिला कलेक्टर संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उस पद हेतु निर्धारित नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को अपनी अभिशंषा के साथ आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अग्रेषित करेगें तथा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आदेश जारी करेंगे।

3. यदि संबन्धित जिले में अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कोई उपयुक्त पद रिक्त नहीं हो तो जिला कलेक्टर आवेदन पत्र को अपने संभाग के संभागीय आयुक्त को अग्रेषित करेंगे। सम्भागीय आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य जिलों में यदि कोई उपयुक्त पद रिक्त हो तो संभागीय आयुक्त संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उस पद हेतु निर्धारित नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को अपनी अभिशंषा के साथ आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अग्रेषित करेगें तथा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आदेश जारी करेंगे।

17/2010

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जिला कलेक्टर / सम्भागीय आयुक्त द्वारा **आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को कार्मिक विभाग के मार्फत अग्रेषित नहीं किये जाने हैं**। जिला कलेक्टर / सम्भागीय आयुक्त सीधे ही संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अग्रेषित करेगें।

यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन आने वाले किसी भी जिले में कोई उपयुक्त रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो संभागीय आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किए जायेंगे।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 10(3)कार्मिक/क–2/75 पार्ट दिनांक 30/10/2000 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि **इस प्रकार के प्रकरणों में आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिए कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है**। उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय–समय पर **नयी नियुक्तियों पर लगाये जाने वाला प्रतिबन्ध भी इन अनुकम्पात्मक नियुक्तियों पर लागू नही होगा**।

समस्त संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि ऐसे आश्रितों को नियमानुसार शीघ्र नियुक्ति दिलवाये जाने की कार्यवाही की जावे तथा इस हेतु नियोजन की प्रगति से सैनिक कल्याण विभाग को भी समय–समय पर अवगत कराया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देश आपके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लायें तथा इनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री
2. उप सचिव, मुख्य सचिव
3. विशिष्ठ सहायक, राजस्व मंत्री जी
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
5. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर

6. निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर
7. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, राजस्थान ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज. जयपुर
9. पंजीयक, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर
10. रक्षित पत्रावली।

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ पेषित है:

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।

शासन उप सचिव

17/2010